

कार्यालय,

राष्ट्रिय प्रशिक्षण शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राशिव/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ दिनांक 12-09-2023

:-कार्यालय द्वारा:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संबन्धित डिप्लोमा राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्रशिक्षण शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रस्ताव अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्रशिक्षण शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उद्योग अखिल प्रदेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 4825-SATYADEV COLLEGE OF PHARMACY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईएनसीटीईईए वीएनईआईई द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023- 24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्रशिक्षण शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 211/15-30998/2022 टीएनई-1 दिनांक 05 मई 2023 द्वारा पूर्व से संबंधित समस्त संस्थाओं को पत्र के विरुद्ध मारतीय न्यायालय में चर्चित गिर चर्चिका संख्या 6027/2023 में सम्पूर्ण न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निरत की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के संकलन के अनुक्रम संकलन में संस्था संस्थापन (तृप्ति, भरण, रैश उपकरण) आदि उपलब्ध है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण शिक्षा परिषद एका 1982 तथा प्रशिक्षण शिक्षा परिषद दिनांकवर्ती 1982, दिनांकवर्ती-2000, सेमेस्टर विनियमवर्ती-2018 तथा समस्त-वर्ष पर निर्मित संकलनवर्ती का अनुपालन करेगी तथा शुल्क विधायक समिति द्वारा निर्धारित शुल्क को प्रत्येक सत्रप्रारंभ में प्राप्त किया जाएगा। उत्प्रेक्षा के अधीनका छात्रछात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समस्त-समय पर सासन द्वारा निरित किये जाने वाले संकलनवर्तक प्रकाशी होने, और उद्योगपर कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। पत्र निर्धारित समिति द्वारा पत्र सत्र 2023-24 हेतु पत्र का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो पत्र को वरीक्षण दे करू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समस्त-समय पर निर्मित संकलनवर्तक के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संकलन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित विधिनिर्णय/अधिनियम/संशोधनवर्तक/वैधानिक एवं निदेशक, प्रशिक्षण शिक्षा, 30000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30000 तथा प्रशिक्षण शिक्षा परिषद, 30000 प्राप्त करने एवं निम्नलिखित, विनियम, आदेश, निर्देशों का पालन

Principal
Satyadev College of Pharm.,
Botiya, Ghazipur

करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/व्यापारिक अखिल भारतीय, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उपरोक्त संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग (उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई बंद दावा किया जाता है तथा दावा बंद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश राजगुरु द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदनिकाएं प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/व्यापारिक अखिल भारतीय, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यवाही को उत्पन्न करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु सम्य-समय पर निर्गत नवीनाम आवेदन विधियों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के सुप्राद्वय पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की वैधानिक दृष्टि भूमि, स्टाफ, साधन-सम्पत्, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क यदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षक-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ दैनिक रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रसक्त/अप्रसक्त छात्रावास को बहाली जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संवहन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही भी करेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समिति) और उपसमिति, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना, विधिवत्, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद् की मंजूरी के अन्तर्गत, भवन और फर्नीचर को परिषद् को परीक्षा के संवहन के लिए परिषद् के अधिकार में रखनी।
- ✓ संस्था के ओरक स्थानीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पत् एआईएसटीआई/आईआईटी/आईआईए/परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता खतों का अनुपालन न किये जाने अथवा खतों का उत्तरधन किये जाने की लिखित में विधानानुसार अनुसंधानात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पुसं-0- प्राविधिक/परिषद् सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SATYADEV COLLEGE OF PHARMACY

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

Principal
Satyadev College of Pharmacy
Brsiya, Ghazipur

**कार्यालय,
प्रतिष्ठान प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश तखनऊ।**

संख्या- प्राधिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

तखनऊ- दिनांक- 30/08/2022

:कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा सार्वीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० तखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित गई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सारी पर विचार कसते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।


सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० तखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4825-SATYADEV COLLEGE OF PHARMACY


क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेक्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनवर्धों का अनुपालन करेगी तथा मुक्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित मुक्त तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष मुक्त ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से मुक्त के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनवर्ध प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जात है, जो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनवर्धों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता मुक्त बन्ध करण होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनवर्धों/निर्देशों एवं विदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनये गये विद्यमान, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।


 Borelya, Ghazipur

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में संबंधित उत्तरदायित्व संस्था का होगा और प्रौद्योगिक रूप से किसी भी कार्यालयों के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के किंडरट्ट यदि कोई बंद करने बिना जाता है तथा दायर घट के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्बन्धी प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदनित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपरोक्त करवाना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश देने काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत परीक्षा प्रवेश अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आख्यक नियमों का अनुपालन करने आवश्यक है।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था को सम्बन्धी सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सैन-सन्ना, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुस्त, अस्सस सुस्त जर्दि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्राविधिक हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिग ठेकाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संशोधित पाठ्यक्रम को नयापे करने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपरोक्त करवाये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संशोधन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बन्धी समाप्त किये जाने को नयापेवली की जायेगी।
- ✓ संस्था के अथवा राष्ट्रीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्राविधिक, उपकरण एवं अन्य सम्बन्धी ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बन्धी समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बन्धी यहाँ का अनुपालन न किये जाने अथवा यहाँ का उत्तरवर्ग किये जाने को स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यावली की जायेगी।


(एफ०आर० खान)

सचिव

फ़ोन- प्राविधिकपरिषद सम्बन्धी 2022/7818-8455


दिनांक: 30/08/2022

प्राविधिक-

प्राध्यापक/निदेशक SATYADEV COLLEGE OF PHARMACY


(एफ०आर० खान)

सचिव


Satyadev College of Pharmacy,
Bareilly, Ghazipur

- ✓ ...
- ✓ ...
- ✓ ...

ಶ್ರೀಮತೇ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೇ

ವಿನಯೇ

ಶ್ರೀಮತೇ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೇ

ಶ್ರೀಮತೇ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೇ

ವಿನಯೇ

ಶ್ರೀಮತೇ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೇ

[Handwritten Signature]

ಶ್ರೀಮತೇ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೇ

ವಿನಯೇ

[Logo]
 Principal
 Jayadev College of Pharmacy
 Bareilly, Uttar Pradesh

**कार्यालय,
राष्ट्रीय शैक्षणिक विद्या परिषद्,
अन्तर प्रदेश अधिनियम।**

संख्या- प्रतिपद/परिषद् सम्बद्धता/2020/1871

अवधि: दिनांक 11-4-2020

-कार्यालय द्वारा-

राष्ट्रीय शैक्षणिक विद्या परिषद्, नई दिल्ली/राष्ट्रीय शैक्षणिक विद्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा संख्या सं. 2020-21 हेतु शैक्षणिक विद्या परिषद्, अन्तर प्रदेश को अनुमोदन प्रदान किया जाने के अलावा राष्ट्रीय शैक्षणिक विद्या परिषद्, अन्तर प्रदेश ने सम्बद्धता/सम्बद्धता विद्या परिषद् द्वारा जाने हेतु संख्या सं. 4-2020 को अलावा, राष्ट्रीय शैक्षणिक विद्या परिषद्, अन्तर प्रदेश को अलावा में शैक्षणिक विद्या परिषद् के द्वारा अन्तर प्रदेश में शैक्षणिक विद्या परिषद् द्वारा सं. 2020-21 हेतु प्रतिपद नई सम्बद्धता को सम्बद्धता/पूर्व में शैक्षणिक विद्या परिषद् को सम्बद्धता विद्या परिषद्/अन्तर प्रदेश द्वारा प्रतिपद नई सम्बद्धता को सम्बद्धता/पूर्व में शैक्षणिक विद्या परिषद् को सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।


उक्त में अनुमति में सम्बद्धता राशि को देना से सं. 11-4-20 में शैक्षणिक विद्या परिषद् द्वारा अन्तर प्रदेश शैक्षणिक विद्या परिषद् को सम्बद्धता अन्तर प्रदेश को अलावा प्राप्त गया; सम्बद्धता राशि द्वारा प्राप्त विद्या परिषद् का विद्या परिषद् दिया गया।

- निजी क्षेत्र में शैक्षणिक विद्या परिषद् द्वारा शैक्षणिक विद्या परिषद् करने वाली संस्थाएं, जो राष्ट्रीय शैक्षणिक विद्या परिषद्, अन्तर प्रदेश के पूर्व में सम्बद्ध हैं, एवं सं. 2020-21 हेतु शैक्षणिक विद्या परिषद् द्वारा उन्हें अन्तर्गत अनुमोदन विद्या परिषद् प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में शैक्षणिक विद्या परिषद् द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विद्या परिषद् को अन्तर्गत अन्तर्गत एवं को सम्बद्धता शैक्षणिक विद्या परिषद्/अन्तर प्रदेश संस्थाओं के साथ सं. 2020-21 हेतु परिषद् को सम्बद्धता विद्या परिषद् प्रदान किये जाने से शैक्षणिक विद्या परिषद्-विद्या परिषद् किया गया एवं शैक्षणिक विद्या परिषद् शैक्षणिक विद्या परिषद् द्वारा प्रदान अनुमोदन विद्या परिषद् को अनुमोदन में सं. 2020-21 हेतु परिषद् को सम्बद्धता विद्या परिषद् दिये जाने का निर्णय लिया गया।

विद्या परिषद् सं. 11-4-2020 को अनुमोदन सम्बद्धता राशि को देना में किये गये अन्तर्गत किये के अनुमति में शैक्षणिक विद्या परिषद् को शैक्षणिक विद्या परिषद्, अन्तर प्रदेश द्वारा सं. 2020-21 हेतु शैक्षणिक विद्या परिषद् को शैक्षणिक विद्या परिषद् द्वारा अन्तर्गत अन्तर्गत अनुमोदन विद्या परिषद् प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	विद्या परिषद्	संस्था का नाम	अनुमोदन का रूप	शैक्षणिक विद्या परिषद् सं. 2020-21 में अनुमोदन राशि	शैक्षणिक विद्या परिषद् सं. 2020-21 में अनुमोदन राशि
1	एन.एस.एस. विद्या परिषद्	एन.एस.एस. विद्या परिषद्, दिल्ली	विद्या परिषद्	10	10

सम्बद्धता हेतु राशि


 Director of Education
 Government of Uttar Pradesh

- ✓ संस्था शैक्षणिक विद्या परिषद्/शैक्षणिक विद्या परिषद् द्वारा शैक्षणिक विद्या परिषद् को नई राशि का पूर्ण रूप अनुमोदन विद्या परिषद् द्वारा प्रदान किया गया है।
- ✓ संस्था अन्तर प्रदेश शैक्षणिक विद्या परिषद् द्वारा सं. 2020-21 हेतु शैक्षणिक विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन विद्या परिषद् द्वारा प्रदान किया गया है।
- ✓ संस्था अन्तर प्रदेश शैक्षणिक विद्या परिषद् द्वारा सं. 2020-21 हेतु शैक्षणिक विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन विद्या परिषद् द्वारा प्रदान किया गया है।
- ✓ संस्था अन्तर प्रदेश शैक्षणिक विद्या परिषद् द्वारा सं. 2020-21 हेतु शैक्षणिक विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन विद्या परिषद् द्वारा प्रदान किया गया है।

1. The first part of the paper is devoted to a general introduction of the subject and to a survey of the existing literature on the topic.
2. The second part is devoted to a detailed study of the various aspects of the problem.
3. The third part is devoted to a study of the various aspects of the problem.
4. The fourth part is devoted to a study of the various aspects of the problem.
5. The fifth part is devoted to a study of the various aspects of the problem.
6. The sixth part is devoted to a study of the various aspects of the problem.
7. The seventh part is devoted to a study of the various aspects of the problem.
8. The eighth part is devoted to a study of the various aspects of the problem.
9. The ninth part is devoted to a study of the various aspects of the problem.
10. The tenth part is devoted to a study of the various aspects of the problem.

THE AUTHOR

THE AUTHOR'S ADDRESS AND CONTACT INFORMATION

